

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/मा.चि./ ५४५७

प्रति,

भोपाल, दिनांक १६-१०-०५

1. समस्त क्षेत्र संचालक (टाईगर रिजर्व)
2. समस्त संचालक (राष्ट्रीय उद्यान)
3. वन संरक्षक,  
उज्जैन/ग्वालियर/भोपाल/सागर।

विषय :- राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनुमति।

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक/कोर्टकेस/वि.खा./ 1883  
दिनांक 29.9.2007.

विषयान्तर्गत संदर्भाकित पत्र संलग्न प्रेषित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा  
याचिका क्रमांक 202/95 टी.एन.गोदावर्मन विलद्ध केन्द्र शासन एवं अन्य तथा दिनांक 14.2.2000  
को आदेश जारी करते हुये समस्त प्रकार की विकास गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था,  
जिसके कारण इन क्षेत्रों में विकास कार्य लगभग रुक से गये थे। पूर्व में दिनांक 25.11.2005 को  
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें प्रबंध योजना में  
प्रावधानित कार्यों को कतिपय शर्तों के अधीन कराये जाने की अनुमति नी गई थी। आई.ए.क्रमांक  
1220 इन आई.ए. क्रमांक 548 इन डब्ल्यू.पी. (सिविल) 202/95 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक  
आदेश दिनांक 14.9.2007 को पारित किया गया है जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य  
क्षेत्रों में निम्न प्रकार की गतिविधियों के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेने की  
आवश्यकता नहीं होगी :-

1. 4" व्यास की भूमिगत पीने के पानी की पाईप लाईन डालना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 11 के.व्ही. विद्युत वितरण लाईन डालना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधा देने के लिए टेलीफोन लाईन अथवा ऑप्टिकल फाईबर  
डालना।
4. ग्रामीणों को पीने के पानी की सुविधा देने हेतु कुँआ, हैण्डपम्प, छोटे तालाब इत्यादि का  
निर्माण।
5. आंगनवाड़ी, शासकीय विद्यालय, शासकीय औषधालय का निर्माण करना।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के फलस्वरूप राष्ट्रीय उद्यान एवं  
अभ्यारण्य के राजस्व एवं वन क्षेत्रों में उपरोक्त लिखित वन विकास कार्यों की अनुमति माननीय  
सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु वनग्रामों में वन संरक्षण।

वन संरक्षक  
भोपाल वृत्त, भोपाल

अधिनियम के अंतर्गत वन क्षेत्र में किये जाने वाले विवास वर्गीय हेतु 01 हैक्टेयर तक वन भूमि की आवश्यकता होने पर इसकी स्वीकृति संबंधित संचालन (राष्ट्रीय उद्यान) / वनमण्डलाधिकारी के द्वारा दी जा सकेगी तथा 01 हैक्टेयर से अधिक वन गृणी वर्गी आवश्यकता होने पर इसका प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार को प्रेषित करना होगा। ध्यान रहे संरक्षित क्षेत्र के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित कार्यों को केवल शासकीय विभाग ही करा सकेंगे।

इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश • शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-5/16/2000/10-3 दिसम्बर 2005 तथा समसांख्यक पत्र दिनांक 19.1.2006 एवं भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पत्र दिनांक 19.12.2005 संलग्न प्रेषित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 26.9.2005 के अनुरूप शासकीय परियोजनाओं के द्वारा संरक्षित क्षेत्र के अंदर वन भूमि पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित निर्माण कार्यों पर नेट प्रजेन्ट वेल्यू की वसूली इस शर्त के साथ मुक्त रखा जाता है कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें नेट प्रजेन्ट वेल्यू से मुक्त नहीं किया तो तत्काल एकत मुश्त राशि उनके द्वारा एन.पी.वी. में जमा कर दिया जायेगा। एन.पी.वी. की राशि जमा करने से मुक्त करने के पूर्व इस आशय का उनसे लिखित वचन-पत्र प्राप्त किया जाये।


कृपया उक्त निर्देशों का कढ़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


पृ. क्रमांक/मा.चि./ ५४६०

प्रतिलिपि :-

मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम), सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अनुरोध है कि पूर्व में 01 हैक्टेयर तक की वनभूमि की आवश्यकता होने पर इसकी स्वीकृति हेतु सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी को प्राधिकृत किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.9.2007 के तारतम्य में समर्त संचालकों तथा अभ्यारण्यों के लिये संबंधित वन मण्डल अधिकारी को अधिकृत करते हुये आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)  
मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक १६-१०-०७

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)  
मध्यप्रदेश भोपाल

पुठक/मा.चि/८६५३

भोपाल दिनों/ १११७

पुठिलिपि:- वन मा. छा. अ. रोड एवं २१८८८ ग्रामी अंतर्भूत  
रखा अपूर्युक्त लालविहारी हुना अन्नपूर्णा/कृष्णपुर उपनिषत्  
अंकुशपुर लालविहारी सुनिधिनपुर लालविहारी